संख्या– 4/1/2002/का–2/2006

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 13 जुलाई, 2006

विषयः– कतिपय अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को अनुसूचित जातियों की प्रसुविधा दिये जाने विषयक अधिसूचना दिनांक 10.10.2005 तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगन आदेश दिनांक 20.12.2005 से उत्पन्न स्थिति पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को अनुसूचित जातियों की प्रसुविधा दिये जाने विषयक कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या– 4(1)/2002–का–2–2005 दिनांकः 10 अक्टूबर, 2005 जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन राजकीय गजट में दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 को हुआ था।

2– ज्ञातव्य है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या–76922/2005, डा0 भीम राव अम्बेडकर ग्रन्थालय एवं जन कल्याण समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांकः 20–12–2005 द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ दिये जाने विषयक उक्त अधिसूचना के कियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है। अधिसूचना के 'कियान्वयन' के स्थगित हो जाने के आधार पर अधिसूचना में शामिल जातियों के व्यक्तियों को लोक सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी देय प्रमाण–पत्र/लाभों के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति शासन के संज्ञान में आयी है।

3– अतः उपरोक्त स्थिति के आलोक में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि चूंकि उक्त अधिसूचना का कियान्वयन मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा स्थगित कर दिया गया है, अतएव न्यायालय के अग्रिम आदेश/अन्तिम निर्णय के

अधीन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट जातियों के व्यक्तियों को लोक सेवाओं में आरक्षण संबंधी लाभ जैसे अधिसूचना संख्या–4(1)/2002/का–2/2005 दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 से पूर्व प्राप्त थे, पूर्ववत प्राप्त होते रहेंगे।

4– कृपया इन आदेशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

भवदीय,

ह0/

उमेश सिन्हा
सचिव ।

संख्या–4/1/2002/का–2/06/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

ह0/

उमेश सिन्हा
सचिव ।

प्रमाणित,

(नन्दलाल प्रसाद)
अनु सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।